न्यायालय उपखण्डअधिकारी,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–16 / 2021

कैलाशरानी उम्र– वर्ष पत्नी सोहनलाल जाति अरोड़ा निवासी अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

––– **वादीया**

बनाम्

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ

–––––**प्रतिवादी**

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधिनियम एवं सपठित धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–28 / 07 / 2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 17 ए(बी) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–27 पत्थर सं.–197 / 10 का किला नं.–1ता25 का 25 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम कैलाशदेवी दर्ज है जबकि वादीया का वास्तविक व सही नाम कैलाशरानी है तथा वादीया के दस्तावेज में वादीया का नाम कैलाशरानी है तथा वादीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड ,बैंक खाता आदि में वादीया का नाम कैलाशरानी दर्ज है। वादीया एक घरू औरत है इस कारण पूर्व में वादीया को इस बाबत इल्म नही था कि वादीया के नाम की उक्त जमाबंदी में वादीया का नाम कैलाशरानी के स्थान पर कैलाशदेवी दर्ज है। वादीया का वास्तविक व सही नाम कैलाशरानी है जो कि उक्त वर्णित समस्त दस्तावेजात से साबित है। इसलिए वादीया अपने नाम की कृषि भूमि की जमाबंदी में अपना नाम कैलाशदेवी के स्थान पर कैलाशरानी दुरूस्त करवाने की कानूनी अधिकारी व दावेदार है। वादीया ने प्रतिवादी से मिल कर अपने समस्त दस्तावेज व पहचान संबंधी अन्य समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीया को अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के आदेश लाने बाबत कहा। इसलिए वादीया यह वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ जमाबंदी सम्वत 2074–2077 चक 17 ए–बी का पत्थर सं.–197 / 10 मुरब्बा नं.–27 के किला नं.–1ता25 का 6.325 हैक्टर कमाण्ड भूमि कैलाशदेवी पत्नी सोहनालाल जाति अरोड़ा साकिन अनूपगढ़ खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा अनूपगढ़ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि से संबंधित इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2757–59 दिनांक–21.11.03 की पालना में चक 17 ए–बी का मुरब्बा नं.–197 / 10 का किला नं.–1ता17 बीघा कमाण्ड कृषि भूमि का इंतकाल नं.–60 किस्म हुक्मान तबादला स्वीकृति दिनांक–06.12.2003 में श्रीमती कैलाश देवी पत्नी सोहनलाल जाति अरोड़ा साकिन अनूपगढ़ के नाम से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। शेष किला नं.–18ता25 का 2.024 हैक्टर कमाण्ड भूमि का जरिये बैयनामा में भी वादीया का नाम कैलाश देवी पत्नी श्री सोहनलाल जाति अरोड़ा साकिन वार्ड नं.–09 अनूपगढ़ अंकन है। जमाबंदी सम्वत 2074–2077 खाता सं.–06 एवं इंतकाल सं–60 एवं बैयनामा की चित्रप्रति संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.08.30 19:43:12 IST
Reason: SelfAttested

वादीया ने साक्ष्य का अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के तहत स्वयं का शपथ पत्र पेश किये। अपने दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श–1ए आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 ए पैनकार्ड की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–3 जमाबंदी की प्रमणित प्रति, प्रदर्श–4ए बैयनामा की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–5ए जनआधार कार्ड की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–6 भामाशाह ई–कार्ड की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–7 परिवार राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति पेश कर प्रदर्शित करवाये व अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहा। जिस पर साक्ष्य वादी समाप्त की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर पत्रावली वास्ते बहस मुकर्र की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादीया अपने साक्ष्यों से यह साबित करने में सफल रहा है कि वादीया का नाम कैलाशदेवी न होकर कैलाशरानी है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादीया का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 17 ए बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–27 पत्थर सं.–197/10 का किला नं.–1ता25 कृषि भूमि में वादीया का नाम कैलाशदेवी के स्थान पर कैलाशरानी का अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.30 19:43:12 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ